



SAINIK SCHOOL REWA (M.P.) सैनिक स्कूल रीवा (म.प्र.)



(KNOWLEDGE IS POWER)
(विद्यैव बलम्)

PROSPECTUS
विवरणिका

A RESIDENTIAL SCHOOL FOR BOYS ONLY
केवल बालकों के लिए एक आवासीय विद्यालय

Phone - 07662-257109, 257113
Fax - 07662 - 254803
email - info@sainikschoolrewa.ac.in
Web site - www.sainikschoolrewa.ac.in



IMPORTANT NOTICE

1. SAINIK SCHOOL REWA DOES NOT PATRONISE ANY COACHING INSTITUTE/AGENT, GUIDE OR GUIDE BOOK. THE ADMISSION WILL BE MADE STRICTLY IN ACCORDANCE WITH THE MERIT LIST AND MEDICAL FITNESS OF THE CANDIDATES WHO HAVE CLEARED THE ENTRANCE EXAMINATION. ADMISSION IS OPEN TO CLASS VI AND TO CLASS IX FOR BOYS ONLY.
2. INFORMATION GIVEN IN THIS PROSPECTUS IS IN THE FORM OF GENERAL GUIDELINES AND CANNOT BE QUOTED AS RULES.

GENERAL INFORMATION

General

1. **Introduction.** Sainik Schools are residential schools for boys providing them public school education with a military bias. These schools are affiliated to the Central Board of Secondary Education and have a common curriculum, system of selection and examination.

2. **Aim.** The aim of Sainik Schools is to prepare boys academically, physically and mentally for entry into the National Defence Academy, Khadakwasla. Character, team spirit, patriotic outlook and the desire to serve the country with dedication are the qualities sought to be promoted by these Schools.

3. **Location.** This School is situated at a quiet, pleasant, clean and tidy surroundings of Civil Lines area of Rewa, the land of **White Tigers**. It has a campus sprawling about 260 acres. Rewa is located on the Allahabad-Bombay highway at a distance of 135kms from Allahabad. It is accessible by road and rail from Satna (W.C.Rly) from where it is 54kms. The School is 2 kms and 6 kms away from Rewa Bus stand and Rewa Railway Station, respectively.

4. **Sainik Schools.** 28 Sainik Schools have so far been established in the country as under:-

- (a) Sainik School, Ambikapur (Chattisgarh)
- (b) Sainik School, Amaravathinagar (Tiruppur Distt, Tamil Nadu)
- (c) Sainik School, Balachadi (Jamnagar-Gujrat)
- (d) Sainik School, Bhubaneshwar (Khurda Distt, Orissa)
- (e) Sainik School, Bijapur (Karnataka)
- (f) Sainik School, Chittorgarh (Rajasthan)
- (g) Sainik School, Ghorakhal (Nainital Distt, Uttaranchal)
- (h) Sainik School, Goalpara (Assam)
- (j) Sainik School, Imphal (Manipur)
- (k) Sainik School, Kapurthala (Punjab)
- (l) Sainik School, Kazhakootam (Thiruvananthapuram Distt, Kerala)
- (m) Sainik School, Korukonda (Vizianagaram Distt, Andhra Pradesh)
- (n) Sainik School, Kunjpura (Karnal Distt, Haryana)
- (o) Sainik School, Nagrota (Jammu Distt, Jammu & Kashmir)
- (p) Sainik School, Purulia (West Bengal)
- (q) Sainik School, Rewa (Madhya Pradesh)
- (r) Sainik School, Rewari (Haryana)
- (s) Sainik School, Satara (Maharashtra)
- (t) Sainik School, Sujanpur-Tira (Himachal Pradesh)
- (u) Sainik School, Tilaiya (Koderma Distt, Jharkhand)
- (v) Sainik School, Nalanda (Rajgir Distt, Bihar)



- (w) Sainik School, Gopalganj (Bihar)
- (x) Sainik School, Kodagu (Karnataka)
- (y) Sainik School, Punglwa (Nagaland)
- (z) Sainik School, Kalikiri (Andhra Pradesh)
- (aa) Sainik School, Chhingchhip (Mizoram)
- (ab) Sainik School, Jhunjhunu (Rajasthan)
- (ac) Sainik School, East Siang (Arunanchal Pradesh)

5. Administration Set Up. The administration of Sainik Schools is vested in an autonomous body of the Board of Governors under the Chairmanship of the Raksha Rajya Mantri. The Chief Ministers/Education Ministers of the states where the Sainik Schools are located, are members of the Board of Governors.

6. There is a Local Board of Administration for each school with a senior defence service officer as its Chairman. The Senior Officer Incharge Administration, Central Air Command, Allahabad is the Chairman of the Local Board of Administration for Sainik School, Rewa (MP).

Training

7. School Academic Year. The Academic year is from 1st April to 31st March.

8. Capacity and Classes. The maximum planned strength of the School is 542. The School has classes from VI to XII.

9. Curriculum. Sainik School Rewa prepares boys for the following examinations:-

(a) Union Public Service Commission Examination for admission to the National Defence Academy, Khadakwasla & Naval Academy, Cochin.

(b) All India Secondary School Examination at the end of class X and All India Senior School Certificate Examination at the end of Class XII, conducted by Central Board of Secondary Education, New Delhi.

10. The medium of instruction is English. Subjects taught are English, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Social Science, Computer Science and General Studies including work experience and Art & Crafts etc as per the syllabus prescribed by CBSE. The concept, objectives and nature of syllabus may be changed at the behest of the Centre Government.

11. Promotion. Promotion to higher class will be as per the guidelines given by Sainik Schools Society amended from time to time.

12. Library and Reading Room. The school has a well-stocked library with a reading room and Internet to cater for the varied interests of the students.

13. Audio Visual Aid Centre and TV. The School has well equipped Audio & Visual aids lab. Though every hostel is provided with a colour TV set, only limited TV exposure is given to the boys. TV is also provided in the cadets' ante room. Major and important telecast are occasionally arranged centrally in Manekshaw Auditorium of the School. Good Movies are shown to the Cadets through UFO system in the auditorium.

14. Co-curricular Activities. While greater emphasis is laid on the academic progress of the boys, the School provides ample scope for the development of their creative faculties, skills, public speaking by way of organising quiz, debate, declamation, lecturette etc. The boys are encouraged to take an active interest in all these activities.



15. Clubs and Societies. Every boy is encouraged to join at least one club / society as per his aptitude and liking. The Clubs and Societies to pursue hobbies and interests of the cadets are as follows:-

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| (a) Science and Technology Club | (f) Military Band Club |
| (b) Art and Crafts Club | (g) Karate Club |
| (c) Nature Club | (h) Shooting Club |
| (d) Photography Club | (j) Music & Dance Club |
| (e) Mass Media Club | (k) Gymnastic Club |

16. Educational Tours, Hikes and Excursions. The School also arranges educational tours under escort to places of military, historical and educational interest as a regular feature of cadets training. There is also an ample opportunity provided for senior boys to go on hikes, mountaineering and organised outdoor excursions during the course of their stay at the School.

17. National Cadet Corps (NCC). All cadets from classes VII to X become cadets of the Junior Division of the NCC irrespective of their age. Senior Division NCC is compulsory for the boys of classes XI & XII. The senior cadets attend Annual Training Camps and Special Summer Camps for rock climbing, advanced leadership and adventure courses, NIC whenever organised under the aegis of NCC Directorate. The cadets get A & B certificates of NCC after successfully completing the training.

18. Games, Gymnasium etc. The school provides facilities for major games like Volleyball, Basketball, Football, Badminton, Cricket and Hockey. The School has a well-equipped Gymnasium building. An excellent skating rink is also available for students. Coaching classes are conducted by qualified PTIs from APTC corps of Indian Army in most of the major games. Indoor games like TT, Chess and Carom etc. are also available.

19. Physical Training and Cross Country Run. Adequate facilities for physical training are available in the School. P.T. is compulsory and all boys take part in regular physical training which includes cross country runs.

20. Shooting Range. Cadets of classes VIII to XII practice 0.22 bore rifle shooting as part of their NCC training activities. School has a 0.177 bore Air Rifle, Pistol shooting range to encourage students to participate in this sport.

21. Obstacle Course. The School has obstacle courses to test and improve cadets' courage, physical endurance and agility.

22. Auditorium. The school has its own auditorium named Manekshaw Auditorium where morning assembly, important School functions and cultural activities are conducted. UFO Movies and important TV shows are also screened in this auditorium.

23. Vacation. A vacation of total 70 days is observed in the form of summer / winter vacations in the month of May-June and Dec end to early January.

24. Visit by Parents / Guardians. *Parents/Guardians of the cadets are permitted to visit their sons/wards between 10 am and 5 pm on Sundays and holidays only.* Parents/Guardians of the new entrants are advised not to visit their wards during their first two months i.e. in April and July after admission so that the boys adjust to the routine and environment of the School.

Administrative Aspects

25. Accommodation. All cadets are accommodated in Dormitories/Hostels under direct supervision of respective Housemasters who act as their guides and guardians. The Housemasters are assisted in their job by Matron/Hostel Superintendents who take care of the cadets' personal need,



hygiene and comforts. At present the School has 10 Hostels/Dormitories, namely Junior Betwa, Junior Chambal, Junior Narmada, Junior Satpura, Junior Vindhya, Senior Betwa, Senior Chambal, Senior Narmada, Senior Satpura and Senior Vindhya named after important rivers / mountain ranges of Madhya Pradesh.

26. Cash and Valuables. Cadets are not permitted to keep cash or valuable articles in their possession during their stay in the School. Possession of electrical and electronic gadgets is an offence and heavy penalty is imposed on defaulters. Cadets are also forbidden from possessing/using mobiles. Fine is imposed even on cadets possessing / using mobiles.

27. Messing. All cadets dine together in a common dining hall called Cadets' Mess. The cooking arrangements are supervised by Mess Manager. A Mess Committee with representatives of the staff and cadets as its members meets regularly to improve the menu and the standard of the Mess. Both vegetarian and non-vegetarian meals are prepared and served according to the nutritional needs and choice of the cadets. Parents are advised not to send sweets or other eatables to their wards.

28. Medical Attention. The School has a part-time Medical Officer. He is assisted by a qualified Nursing Assistant. Free medicines provided by the Govt of MP are available in the school infirmary. Cadets have to pay for diagnostics needs whenever required.

29. There is a fifteen-bedded Infirmary and an Isolation Ward. In case of serious illness, boys are transferred to the Government Civil Hospital/Medical College. Cases of serious illness are reported to the parents immediately who have the discretion to take their wards with them for medical treatment.

30. Cadets have rigid medical examination before their arrival in the School and are given essential prophylactic treatment as required. Medical History Cards are maintained for each boy and general growth is watched.

31. Canteen facilities. The School has a well-stocked CSD canteen wherein toiletries and other basic requirements of the cadets are stocked and sold to them.

32. Arrangement for Travelling. Parents need to make their own arrangements for collecting their wards from the School at the time of vacations and returning them in time to school after vacations.

33. School Fees. Fee structure of the school is as under :-

(a)	Tuition Fee	-	₹79,860/-
(b)	Diet Charges	-	₹15,338/-
(c)	Clothing Charges	-	₹ 1,500/-
(d)	Incidental/Stationary Charges	-	₹ 6,000/-
(e)	Caution Money	-	₹ 3,000/- (Gen & Def)*
		-	₹ 1,500/- (SC/ST)*

*Refundable, One time on new admission only.

The above mentioned fee structure is revised from time to time as per the orders issued by Sainik Schools Society. Total fees in advance is to be deposited at the time of admission. For other classes the fee may be paid by the parent in two instalments.

34. Scholarships. A scholarship scheme has been instituted by the Government of MP for the award of scholarships to deserving students of MP domicile on the basis of income. Sons of serving / Ex-Service personnel up to the rank of junior commissioned Officers and other ranks of the Army and equivalent ranks in the Navy and the Air Force are also given Defence Scholarship subject to them meeting the laid down academic criteria. Details of Scholarship is as under :-



- (a) From Govt of MP for MP Domicile General Category Cadets

Sl.No.	Income Group	Rate of Scholarship (On tuition fee)
(i)	Upto ₹8,000/- PM	Full Scholarship
(ii)	₹8,001 to ₹10,000/- PM	75% Scholarship
(iii)	₹10,001 to ₹12,000/- PM	50% Scholarship
(iv)	₹12,001 to ₹15,000/- PM	25% Scholarship
(v)	₹15,001 & above PM	Nil
(vi)	₹1,500/- Clothing Charges to all cadets of MP Domicile, who are eligible for scholarship.	

- (b) The Govt of MP provides full amount to the MP Domicile SC/ST category cadets as per fee structure.

- (c) From Ministry of Defence for Serving / Ex-servicemen.

Sl.No.	Rank (Service Personnel / Ex Servicemen)	Rate of Scholarship
(i)	JCO	₹16,000/-
(ii)	NCO	₹32,000/-

- (d) A lump-sum amount of subsidy is given by the Ministry of Defence to the Cadets irrespective of income and state of domicile.

- (e) It is the responsibility of the parents / guardians to provide required document well in time to the school for claiming scholarship every year. Scholarship will not be claimed in respect of wards for whom the required documents does not reach the School by due date.

35. Withdrawal of Scholarships. Scholarships will be withdrawn on not meeting the academic criteria and on other grounds as per the guidelines issued by the Sainik Schools Society as amended from time to time.

36. Execution of Bond. The Parent / Guardian of every new entrant in the Sainik School is required to execute a bond to the effect that his son/ward will adhere to the rules, regulations and discipline of the school, and their acceptance of the fee pattern whenever so modified by the Central/State Govt.

37. The Parent / Guardian of the recipient of the State or Central Government scholarship is required to execute an agreement to the effect that if his son/ward does not take the competitive examination of the Union public Service Commission for admission to National Defence Academy (NDA) or having taken the examination does not join the Academy if selected, then he would refund to the Government concerned the value of scholarship availed by his son/ward during his entire stay in the School. The same is also applicable if he leaves the School at any intermediate stage without taking the available chances for the Examination of the Union Public Service Commission.

38. Parents/Guardians of the boys who are in receipt of State Government scholarship are required to execute an agreement on stamp paper of ₹ 100/- to the effect that they would adhere to the scholarship rules and give personal & other sureties for refund to the Government, in case of any violation of scholarship rules, the full amount of scholarship received by them during the entire period of stay of their sons/wards in the School will be recovered with damages, if any.

39. In the event of the death of the guarantor, the same should be intimated to the School immediately by the parents and new agreement bond and surety bond should be executed.

40. Proof of Age. A birth certificate issued by Registrar Birth/Death Office at the time of admission is only acceptable. In case of defence personnel and Ex-servicemen, date of birth certificate from the Record Office is also required. It is incumbent on the serving defence personnel to submit the copy of Part II Order from their Record Office along with birth certificate issued by Registrar Birth/Death Office. It is also incumbent on the Ex-servicemen to submit this document from their respective Records



Offices. Candidates who fail to submit a copy of Part II order in which the casualty has been published from the Record Office will be treated as "General Candidates".

41. Once a date of birth, caste or domicile is claimed by the Parents/Guardians and accepted by the Sainik School authorities no subsequent change is permissible.

42. The documents produced by the candidate or his Parent/Guardian at the time of admission are subject to verification by the issuing authority at the behest of the Principal. At any stage a candidate found to have produced documents which are false or incorrect, or deficient in information of particulars furnished, will make his candidature liable for cancellation or result in his withdrawal from the School during the academic session in addition to initiation of legal action against him.

43. School authorities reserve the right to verify any document before admitting a ward. Any case of fraudulent document will be reported to the police and admission will be cancelled and seat will be allotted to the next eligible candidate.

General Admission Information

44. Online Application for Entrance Examination. Only online applications are accepted for All India Sainik Schools Entrance Examination through following websites :-

www.sainikschooladmission.in Or www.sainikschoolrewa.ac.in

45. Detailed instructions to fill online application forms are available in admission website i.e. www.sainikschooladmission.in. Candidates must read the instructions carefully and fill the online application with due care. No changes will be accepted after online submission at any later stage.

46. Reservation of Seats.

(a) 15% of the total seats are reserved for Scheduled Castes and 7½% seats for Scheduled Tribes.

(b) Out of the remaining seats, 67% of the seats will be reserved for boys from the State of Madhya Pradesh. Balance 33% left over of seats will be thrown open to boys from other States and Union Territories in the ratio of their male population. Any unutilized seats will be merged with home state seats.

(c) 25% seats are reserved for children of service personnel including Ex-servicemen.

Note: All candidates to submit requisite certificates from the state / UT Govt of being a bona fide resident of that state.

47. Qualifying Standard. These are as follows :-

(a) The minimum qualifying marks for general category candidates as well as children of Defence Services Personnel and ex-servicemen will be 25% in each subject with 40% in aggregate unless these qualifying standards are revised or amended by the Sainik Schools Society.

(b) In the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates, minimum qualifying standards are not required and they will be admitted on the basis of inter-se merit at the Entrance Examination within these categories. In case a SC/ST candidate comes in the general merit on his own, he would be admitted against general seat and will not be adjusted against the reserved share of SC/ST seats.



- (c) Only medically fit boys will be admitted strictly in order of the merit.

48. Admission and Eligibility. Admission is open to boys only who have completed 10 years and are below 12 years of age for class VI and completed 13 years and below 15 years of age for class IX on 31st March of the year of admission. The age limits prescribed can in no case be relaxed. Admission is made on the basis of All India Sainik Schools Entrance Examination (AISSEE). 300 Marks prescribed for Written examination for class VI and 400 marks for class IX.

49. Syllabus for Entrance Examination. The standard of AISSEE for Classes VI & IX would be equivalent to that of standard V & VIII, respectively as per the prescribed syllabus of the CBSE. A few questions of a slightly higher standard may also be included.

50. Entrance Examination. The Entrance Examination for both classes will be OMR based. The question papers for class VI will be in English and Hindi, while the question paper for class IX will be in English only.

51. Sainik Schools Society reserves the right to change the pattern of examination and admission criteria.

52. Those boys who qualify AISSEE and are high in merit will be called for medical examination at a later date depending on the number of vacancies. Number of candidates approximately three times the vacancies is short listed category wise, for medical strictly on their performance in the written Examination. Boys who qualify in the Examination are admitted strictly in the order of merit subject to the availability of vacancies, provided they are found medically fit.

53. In case boys who are qualified but low in merit in schools of their domicile and whose parents are willing to admit their wards in other Sainik Schools, will be required to give an undertaking that "they are willing to admit their sons/wards as full paying (fees) cadets in other Sainik Schools of their choice and under any circumstances will not seek inter-school transfer till the end of completion of studies of their wards in the Sainik School once they are selected/admitted". They will identify/indicate any three Sainik Schools of their choice/preference as first, second and third in order of their choice in the application form.

54. Medical Examinations of candidates for admission in classes VI & IX of Sainik School Rewa are conducted at designated Military Hospitals.

55. Joining Instructions for Admission. Joining Instructions are issued only to boys who are finally selected for admission to the School strictly in order of merit, prepared on the basis of written exam and subject to medical fitness. The joining instructions contain the following documents which are required to be brought to the School duly completed at the time of admission:-

- (a) School Transfer Certificate duly countersigned.
- (b) Income Certificate of the parents.
- (c) Affidavit of Income.
- (d) Affidavit of Domicile along with domicile certificate.
- (e) Bond Form
- (f) Agreement form
- (g) Medical History and vaccination Certificate.
- (h) SC/ST Certificate duly signed by Tehsildar/SDO
- (j) Risk Certificate
- (k) Family details including family photograph.



- (l) Fee Certificate
- (m) Parents Address proforma
- (n) Married/Unmarried Certificate
- (p) Journey Proforma
- (q) Birth Certificate from Registrar Birth/Death.
- (r) Serving Certificate (from Unit/Discharge Certificate duly countersigned by Sainik Welfare Department, QSA/pay certificate from unit (For Defence candidates)
- (s) Samagra Family Dashboard along with Samagra child ID

56. Withdrawal of Boys. All boys are admitted to the school on the understanding that they will remain in the School till completion of class XII. In case any of the parents want to withdraw his son on any account, including revision of fees/scholarship he must give notice of withdrawal in writing to the Principal at least two months before the commencement of the following term. Failure to give this notice will entail forfeiture of caution money. Parents of boys who are in receipt of scholarships can withdraw them only after repayment of total amount of scholarship enjoyed by the boys. In case a child is withdrawn by the parent voluntarily during mid-term, fees will be charged as per rule. There is no provision in Sainik School Rules and Regulations for re-admission of a boy once he is withdrawn from the School.

57. All fees are payable in advance and can be paid for a year or a term. If dues are not received by the 15th of the succeeding month from the beginning of session then the student will be struck off from the rolls of the School and sent home.

58. The School will arrange a thorough medical examination of boys as per orders on the subject, to minimise medical rejections at the Services Selection Boards. Even after admission, if student is found medically unfit at any stage and in the opinion of the competent medical authority the disability is likely to render him **unfit for entry to the Regular Armed Forces, the grant of scholarship to the student, if any will be withdrawn.**

59. General Points.

- (a) The parents/guardians will intimate the School as and when there is a change in address for correspondence. Parents/guardians will also intimate the change of phone numbers & e-mail ID immediately on occurrence.
- (b) Parents/guardians of boys admitted to the School will be deemed to have read, understood and accepted the contents of this prospectus. (both in English & Hindi)
- (c) All disputes arising between School administration and the party shall be filed and decided by the Civil Court, Rewa (MP) only.
- (d) Cadets will not be allowed to use mobile phones in the School. Therefore, parents are requested not to provide mobile phones to their wards. Possession of mobile phones by cadets is a serious offence and may lead to heavy fine and/or withdrawal of the cadet from the School on disciplinary grounds.



महत्वपूर्ण सूचना

1. सैनिक स्कूल रीवा किसी भी कोचिंग संस्थान अथवा किसी भी पुस्तक को मान्यता नहीं देता और ना ही अनुशंसा करता है। विद्यालय में प्रवेश पूर्णतः लिखित परीक्षा के आधार पर बनी प्रावीण्य सूची एवं स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर ही दिया जाता है। विद्यालय में प्रवेश केवल बालकों के लिए कक्षा 06 एवं कक्षा 09 के लिए ही है।
2. विवरण-पत्रिका में उद्धृत सूचनाएं केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कृपया इसे नियम के रूप में उल्लेख न किया जाय।

सामान्य जानकारी

सामान्य

1. **परिचय** —सैनिक स्कूल आवासीय विद्यालय है जिनमें छात्रों को पब्लिक स्कूल स्तर की शिक्षा सैनिक रुझान के साथ प्रदान की जाती है। यह विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्ध है। देश के सभी सैनिक स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा प्रणाली अपनाई जाती है।
2. **उद्देश्य** —सैनिक स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को शैक्षणिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाना है, जिससे कि वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडगवासला में प्रवेश में सफलता प्राप्त कर सकें तथा उनके चरित्र-निर्माण, सामूहिक-भावना एवं देश-प्रेम को विकसित करना है ताकि वे त्याग एवं समर्पण की भावना से देश सेवा कर सकें।
3. **स्थिति** —सैनिक स्कूल रीवा, सफेद-शेरों की धरती रीवा के सिविल-लाइन्स इलाके के शांत, सुन्दर, स्वच्छ एवं रमणीय वातावरण में स्थित है। यह विद्यालय लगभग 260 एकड़ भूमि में फैला है। सैनिक स्कूल रीवा, इलाहाबाद-मुम्बई राजमार्ग पर इलाहाबाद से 135 कि.मी. की दूरी पर तथा पश्चिम मध्य रेलवे के सतना जंक्शन से 54 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सैनिक स्कूल रीवा की दूरी रीवा बस स्टैण्ड से 2 कि.मी. तथा रीवा रेलवे स्टेशन से 6 कि.मी. है।
4. **सैनिक स्कूल** — अब तक देश में 28 सैनिक स्कूल स्थापित हैं, जो निम्न हैं:-
 - (क) सैनिक स्कूल अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)
 - (ख) सैनिक स्कूल अमरावती नगर (जिला-तिरुपुर, तमिलनाडु)
 - (ग) सैनिक स्कूल बालाचढ़ी (जिला-जामनगर, गुजरात)
 - (घ) सैनिक स्कूल भुवनेश्वर (जिला-खुर्दा, उड़ीसा)
 - (ङ) सैनिक स्कूल बीजापुर (कर्नाटक)
 - (च) सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
 - (छ) सैनिक स्कूल घोड़ाखाल (जिला-नैनीताल, उत्तरांचल)
 - (ज) सैनिक स्कूल ग्वालपारा (असम)
 - (झ) सैनिक स्कूल इम्फाल (मणिपुर)
 - (ञ) सैनिक स्कूल कपूरथला (पंजाब)
 - (ट) सैनिक स्कूल काजाकुट्टम (जिला-तिरुअनन्तपुरम, केरल)
 - (ठ) सैनिक स्कूल कोरुकुण्डा (जिला विजियानगरम, आंध्र-प्रदेश)
 - (ड) सैनिक स्कूल कुंजपुरा (करनाल, हरियाणा)
 - (ढ) सैनिक स्कूल रीवा (मध्यप्रदेश)



- (ण) सैनिक स्कूल रेवाड़ी (हरियाणा)
- (त) सैनिक स्कूल नगरोटा (जम्मू-कश्मीर)
- (थ) सैनिक स्कूल पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)
- (द) सैनिक स्कूल सतारा (महाराष्ट्र)
- (ध) सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा (हिमाचल प्रदेश)
- (न) सैनिक स्कूल तिलैया (जिला कोडरमा, झारखंड)
- (प) सैनिक स्कूल नालन्दा (जिला-राजगीर, बिहार)
- (फ) सैनिक स्कूल गोपालगंज (बिहार)
- (ब) सैनिक स्कूल कुडगु (कर्नाटक)
- (भ) सैनिक स्कूल पुंगलवा (नागालैण्ड)
- (म) सैनिक स्कूल कालीकिरी (आंध्र प्रदेश)
- (य) सैनिक स्कूल छिंगछिप (मिजोरम)
- (र) सैनिक स्कूल झुनझुनू (राजस्थान)
- (ल) सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग (अरुणाचल प्रदेश)

5. **संचालन** – सैनिक स्कूलों का संचालन का कार्य रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन गठित समिति "सैनिक स्कूल्स सोसायटी" करती है जिसके अध्यक्ष देश के रक्षा राज्य मंत्री होते हैं। जिन राज्यों में ये विद्यालय स्थित हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री, संचालन समिति के सदस्य होते हैं।

6. इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय की स्थानीय प्रशासनिक मंडल उस क्षेत्र के वरिष्ठ सेना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित है। सैनिक स्कूल रीवा (म.प्र.) के स्थानीय प्रशासनिक मंडल के अध्यक्ष, मध्य वायु कमान, बमरौली इलाहाबाद के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी प्रशासन, एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी हैं।

प्रशिक्षण

7. **विद्यालय का शैक्षणिक सत्र** – विद्यालय का शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है।

8. **छात्र-क्षमता एवं कक्षाएँ** – विद्यालय की निर्धारित छात्र क्षमता 542 छात्रों की है। विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन की व्यवस्था है।

9. **पाठ्यक्रम** – सैनिक स्कूल छात्रों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिये तैयार करता है।

- (अ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडगवासला एवं नेवल अकादमी में प्रवेश के लिये आयोजित संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये।
- (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिये।

10. विद्यालय के शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है। अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान, समाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सामान्य अध्ययन के साथ क्राफ्ट एवं कला आदि महत्वपूर्ण विषयों का अध्यापन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं प्रकृति में केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार परिवर्तन हो सकता है।

11. **प्रोन्नति** – अगली कक्षा में प्रोन्नति सैनिक स्कूल्स सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

12. **पुस्तकालय एवं वाचनालय**– विद्यालय में एक सुन्दर, समृद्ध एवं सुसज्जित पुस्तकालय तथा वाचनालय है जहाँ छात्र अपनी रुचि एवं आवश्यकतानुसार ज्ञानार्जन करते हैं।



13. **श्रव्य-दृश्य उपकरण केन्द्र एवं मनोरंजन सुविधाएं** – स्कूल में एक समृद्ध एवं सुसज्जित भाषा प्रयोगशाला है, जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रवण-दृश्य यंत्र हैं। विद्यालय के प्रत्येक सदन में रंगीन टेलीविजन उपलब्ध है। छात्र सीमित समय में ही टेलीविजन का आनंद ले पाते हैं। छात्रों के लिए कैडेट्स एन्टी कक्ष में भी टेलीविजन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त खेल एवं विशेष प्रसारण एक साथ मानकशॉ सभागार में दिखाया जाता है। छात्रों को सभागार में यू.एफ.ओ. सिस्टम के माध्यम से अच्छी फिल्में दिखाई जाती हैं।

14. **पाठ्य सहगामी क्रिया-कलाप** – छात्रों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अन्य क्षेत्रों में प्रगति के लिये विद्यालय द्वारा अनेकानेक क्रिया-कलापों का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में साहित्यिक परिषद्, विज्ञान परिषद्, चित्रकला परिषद् एवं सांस्कृतिक परिषद् के तत्वाधान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में किया जाता है व छात्रों को इन क्रिया-कलापों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

15. **क्लब एवं परिषदें** – विद्यालय द्वारा निम्नांकित क्लब एवं परिषदें संचालित होती हैं :

(क) विज्ञान एवं तकनीकी क्लब	(च) सैन्य बैण्ड क्लब
(ख) कला एवं क्राफ्ट	(छ) कराटे क्लब
(ग) प्रकृति क्लब	(ज) शूटिंग क्लब
(घ) फोटोग्राफी क्लब	(झ) संगीत एवं नृत्य क्लब
(ड) मास मीडिया क्लब	(ञ) व्यायाम क्लब

16. **शैक्षणिक पर्यटन** – विद्यालय प्रत्येक शिक्षण सत्र में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सैन्य महत्व के स्थानों के लिए योग्य शिक्षकों के निर्देशन में शैक्षणिक पर्यटन का आयोजन करता है। विद्यालय के वरिष्ठ छात्र अपने अध्ययन काल में हाइक पर भी शिक्षकों की देख-रेख में जाते हैं।

17. **एन.सी.सी.** – विद्यालय में एन.सी.सी. की शिक्षा अनिवार्य है। कक्षा 7 से लेकर 10 तक के छात्र जूनियर डिवीजन एन.सी.सी. एवं कक्षा 11 और 12 के छात्र सीनियर डिवीजन एन.सी.सी. के कैडेट होते हैं। विद्यालय के कैडेट्स पर्वतारोहण, एडवॉन्स लीडरशिप और एडवेंचर कोर्स एवं अन्य आयोजित कैम्पों में सम्मिलित होकर कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। छात्र एन.सी.सी. की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के पश्चात् ए एवं बी प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं।

18. **खेलकूद, व्यायाम आदि** – स्कूल द्वारा छात्रों को प्रायः सभी खेलों के लिये सुविधा प्रदान की जाती है, जिनमें लॉन-टेनिस, वॉलीबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, बैडमिंटन, क्रिकेट एवं हॉकी प्रमुख हैं। विद्यालय में आधुनिक एवं सुसज्जित व्यायामशाला है। छात्रों के लिए एक उत्तम स्केटिंग रिक भी उपलब्ध है। प्रमुख खेलों का प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षित पी.टी.आई., जो भारतीय सेना के ए.पी.टी.सी. कोर के होते हैं, द्वारा प्रदान किया जाता है। विद्यालय में इन डोर गोम्स जैसे टेबल-टेनिस, शतरंज, कैरम आदि की भी सुविधाएं सुलभ हैं।

19. **शारीरिक प्रशिक्षण एवं क्रास कन्ट्री दौड़** – विद्यालय में प्रत्येक छात्र के लिये पी.टी. एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य है जिसमें क्रास कन्ट्री दौड़ भी सम्मिलित है।

20. **निशानेबाजी** – विद्यालय द्वारा कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों एन.सी.सी. प्रशिक्षण के दौरान .22 बोर राइफल द्वारा निशानेबाजी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विद्यालय के पास 0.177 बोर एयर राइफल एवं पिस्टल शूटिंग रेंज है, जो छात्रों को इस खेल में भाग लेने के लिए उत्साहित करता है।

21. **बाधा दौड़** – छात्रों में साहस, शारीरिक क्षमता एवं सुगठित स्वास्थ्य विकास के लिये विद्यालय में बाधा दौड़ (आक्सटेकिल कोर्स) की सुविधा सुलभ है।

22. **सभागार** – विद्यालय का अपना एक सभागार है, जिसका नाम मानकशॉ सभागार है। जहाँ प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। यू.एफ.ओ. द्वारा फिल्में तथा महत्वपूर्ण टेलीविजन प्रसारणों का भी प्रदर्शन किया जाता है।



23. **अवकाश** – विद्यालय में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन कुल 70 दिन के अवकाश माह मई-जून व दिसम्बर अंत से जनवरी प्रथम सप्ताह के मध्य होते हैं।

24. **पालकों/अभिभावकों द्वारा छात्रों से मिलने की अनुमति** – पालकों या अभिभावकों को विद्यालय में छात्रों से रविवार या किसी अन्य छुट्टी के दिन 10 बजे से सायं 5 बजे तक मिलने की अनुमति रहती है। कक्षा 6 और 9 में नये प्रवेश प्राप्त छात्रों के पालकों/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों से अप्रैल, जुलाई और अगस्त माह में न मिलें जिससे कि बच्चों को विद्यालय में व्यवस्थित होने में कठिनाई न हो। अवकाश के अलावा नियमित दिनों में पालकों को छात्रों से मिलने की अनुमति नहीं है।

प्रशासनिक पहलू

25. **आवास** : छात्र अभिभावक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में नियुक्त हाउस मास्टर्स की देख-रेख में आवासीय सदनो में रहते हैं। प्रत्येक सदन में हाउस मास्टर को सहयोग प्रदान करने के लिये दूसरे अध्यापक तथा छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका होते हैं जो छात्रों के रहन-सहन, सुख-सुविधा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं। वर्तमान समय में छात्रों के लिए 10 छात्रावास वरिष्ठ/कनिष्ठ बेतवा, वरिष्ठ/कनिष्ठ चम्बल, वरिष्ठ/कनिष्ठ नर्मदा, वरिष्ठ/कनिष्ठ सतपुड़ा एवं वरिष्ठ/कनिष्ठ विन्ध्या सदन उपलब्ध हैं जिनके नाम प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतों/नदियों के नाम के अनुरूप हैं।

26. **नकद राशि तथा कीमती सामान** : छात्रों को विद्यालय में अध्ययनकाल के दौरान नगद राशि एवं मूल्यवान वस्तुएं आदि रखना प्रतिबंधित है। छात्रों द्वारा इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना दण्डनीय है तथा उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना वहन करना पड़ेगा। छात्रों के लिए मोबाईल फोन रखना या प्रयोग करना प्रतिबंधित है। मोबाईल फोन रखने या प्रयोग करने पर छात्रों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

27. **भोजन-व्यवस्था** : सभी छात्र एक साथ कैडेट्स मेस में भोजन ग्रहण करते हैं। मेस में मेस प्रबन्धक नियुक्त हैं, जिनकी देख-रेख में भोजन एवं खान-पान की समुचित व्यवस्था की जाती है। छात्रों तथा अध्यापकों के प्रतिनिधित्व में बनी मेस कमेटी द्वारा प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले भोजन सामग्री का निर्धारण किया जाता है और तदनुसार व्यवस्था की जाती है। छात्रों की रुचि के अनुसार शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन की अलग-अलग व्यवस्था उपलब्ध है।

28. **चिकित्सा व्यवस्था** : विद्यालय में एक अंशकालिक चिकित्सक हैं जिनके सहायतार्थ योग्य नर्सिंग असिस्टेन्ट हैं जो छात्रों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। सीमित दायरे तक निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था है जिसके उपरान्त छात्रों को परीक्षाओं, औषधियों तथा टॉनिक आदि के लिए जब भी आवश्यकता पड़ती है, भुगतान करना पड़ता है। म.प्र. सरकार के नियमानुसार निःशुल्क दवाईयां जिला चिकित्सालय के माध्यम से उपलब्ध है।

29. विद्यालय के चिकित्सा कक्ष में 15 रोगियों के लिए बिस्तर तथा एक आइसोलेसन वार्ड उपलब्ध हैं। रोगी की गंभीर तथा विशेष चिकित्सा व्यवस्था के लिए स्थानीय शासकीय चिकित्सालय की सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। गंभीर रूप से बीमार या रुग्ण छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी व सूचना अभिभावकों को दी जाती है।

30. विद्यालय पहुँचने पर छात्रों का विधिवत् गहन चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है और समयानुसार उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति का विवरण भी रखा जाता है।

31. **कैन्टीन सुविधाएँ** : विद्यालय में सी.एस.डी. कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर छात्रों की दैनिक आवश्यक सामग्रियाँ उचित मूल्य पर सुलभ रहती है।

32. **यात्रा-प्रबन्ध** : अवकाश के पूर्व तथा पश्चात् छात्रों को लेने तथा पहुँचाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है।

33. **विद्यालय शुल्क** : स्कूल में शुल्क संरचना निम्नानुसार है :-



(अ)	शिक्षण शुल्क	₹79,860
(ब)	भोजन प्रभार	₹15,338
(स)	वर्दी प्रभार	₹1,500
(द)	आकस्मिक प्रभार	₹6,000
(य)	सुरक्षा निधि (केवल प्रवेश के समय एवं वापसी योग्य)	₹3,000 (सामान्य एवं रक्षा श्रेणी हेतु) ₹1,500 (अजा एवं अजजा हेतु)?

उपरोक्त वर्णित शुल्क संरचना सैनिक स्कूल्स सोसायटी के आदेशानुसार समय-समय पर परिवर्तित होती है। कुल शुल्क एक मुश्त प्रवेश के समय अग्रिम जमा की जाएगी। अन्य छात्र शुल्क को दो किश्तों में भी जमा कर सकते हैं।

34. **छात्रवृत्तियाँ** – आर्थिक आय के आधार पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश निवासी छात्रों को छात्रवृत्तियों की योजना व्यवस्था है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्र शासित राज्यों तथा भूतपूर्व सैनिकों (जे0सी0ओ रैंक तक) एवं कार्यरत रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत करती है। बोर्ड आफ गवर्नर्स सैनिक स्कूल सोसायटी/रक्षा मंत्रालय द्वारा सारी छात्रवृत्तियों का स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है और अभिभावकों को आंशिक या पूर्ण शुल्क व्यय वहन करना पड़ सकता है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति छात्रों के शैक्षणिक मापदण्डों को पूरा करने पर ही दी जाती है। छात्रवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. राज्य के निवासी सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु :-

क्रम संख्या	आय वर्ग	छात्रवृत्ति की दरें (शिक्षण शुल्क पर)
(i)	₹8,000 प्रतिमाह	पूर्ण छात्रवृत्ति
(ii)	₹8,001 से ₹10,000 प्रतिमाह	75% छात्रवृत्ति
(iii)	₹10,001 से ₹12,000 प्रतिमाह	50% छात्रवृत्ति
(iv)	₹12,001 से ₹15,000 प्रतिमाह	25% छात्रवृत्ति
(v)	₹15,001 या अधिक प्रतिमाह	निरंक

(ख) म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. राज्य के निवासी अजा/अजजा वर्ग के छात्रों हेतु :- म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. के निवासी अजा/अजजा वर्ग के छात्रों के लिए समस्त शुल्क/प्रभार की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के रूप में की जाती है।

(ग) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रक्षाकर्मियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के पाल्य हेतु :-

क्रम संख्या	रैंक (कार्यरत/भूतपूर्व सैनिक)	छात्रवृत्ति की राशि
(i)	जेसीओ	₹16,000.00
(ii)	एनसीओ	₹32,000.00

(घ) रक्षा मंत्रालय द्वारा एक अनुमानित राशि सब्सिडी के रूप में सभी छात्रों को आय एवं निवास राज्य को बिना देखे ही प्रदान की जाती है।

(ङ) प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए यह अभिभावकों की जबाबदारी है कि समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा न होने की स्थिति में संबंधित छात्र की छात्रवृत्ति का दावा अग्रेषित नहीं किया जायेगा। जिसके लिए संबंधित अभिभावक स्वयं जबाबदार होंगे।

35. **छात्रवृत्ति की वापसी** – शैक्षणिक आधार पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति न करने पर या अन्य नियमों के अधीन छात्रवृत्ति रोक दी जा सकती है, जो कि समय-समय पर सैनिक स्कूल्स सोसायटी द्वारा संशोधित की जाती है।

36. **बंधक पत्र का निष्पादन** : प्रवेश प्राप्त छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक को इस आशय के बंधक पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा कि उसका पुत्र/पाल्य अनुशासित रहकर विद्यालय के नियमों का पालन करेगा तथा जब कभी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा शुल्क के स्वरूप में संशोधन होगा, मान्य होगा।



37. माता-पिता अथवा अभिभावक जिनके पुत्र/पाल्य राज्य या केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता हैं, उन्हें इस आशय का अनुबंध पत्र जमा करना होगा कि उसका पुत्र/पाल्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में यदि नहीं सम्मिलित होता अथवा चयन होने पर यदि रक्षा अकादमी में प्रवेश नहीं लेता तो विद्यालय में शिक्षा-प्राप्ति अवधि तक राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि वापस करेगा। यह शर्त उस दशा में भी लागू होगी जब छात्र स्कूल छोड़ता है और संघ लोक सेवा आयोग की एन.डी.ए. में बैठने के शेष सभी अवसरों का लाभ नहीं उठाता।

38. माता-पिता/अभिभावक जिनके पुत्र/पाल्य राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ लेते हैं उन्हें रूपए 100 के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर अनुबंध पत्र जमा करना होगा जो इस आशय का होगा कि उन्हें छात्रवृत्ति के नियम एवं शर्त स्वीकार्य है और वे व्यक्तिगत तथा अन्य जमानत इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि विद्यालय में अर्जित सम्पूर्ण छात्रवृत्ति क्षतिपूर्ति सहित वापस करेंगे यदि वे छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमों/शर्तों का उल्लंघन करते हैं।

39. जमानतकर्ता की मृत्यु की दशा में अभिभावक इसकी सूचना तुरंत विद्यालय को देंगे और अभिभावक नए अनुबंध पत्र एवं बंधक पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करेगा।

40. **आयु साक्ष्य :** माता-पिता/अभिभावक प्रवेश के समय पंजीयक जन्म/मृत्यु द्वारा जारी छात्र का जन्म प्रमाण पत्र जमा करें। रक्षा सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के बालकों के लिए रिकार्ड कार्यालय द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। प्रवेश के समय बालक का मूल जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रक्षा श्रेणी कर्मचारियों को पार्ट द्वितीय आदेश की प्रति, जिसमें छात्र के जन्म का प्रमाण अंकित हो, जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में छात्र को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।

41. **जन्मतिथि, जाति तथा मूल निवास** के सम्बन्ध में पालकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में एक बार दी गई सूचना जो विद्यालय द्वारा स्वीकृत है उसमें परिवर्तन निषेध है, यदि बाद में ऐसा पाया जाता है कि दी गई जानकारी गलत है तो प्रवेश निरस्त किया जा जाएगा।

42. छात्र या उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा नामांकन तथा प्रवेश के समय प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों/साक्ष्यों का प्राचार्य के अनुरोध पर निर्धारित प्रतिनिधियों द्वारा प्रवेश के समय पूर्ण रूप से जाँच किया जायेगा। झूठे, अनुचित तथा चाही गयी सूचना के अनुसार पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न होने की दशा में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा अथवा किसी भी स्तर पर छात्र विद्यालय से शैक्षणिक सत्र के बीच ही निष्कासित कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

43. विद्यालय प्रशासन का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह छात्र के प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन करें। किसी भी स्थिति में जाली दस्तावेज पाए जाने पर पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी तथा छात्र का आवंटन निरस्त कर अगले योग्य छात्र को सीट का आवंटन जारी किया जाएगा।

प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी

44. **प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र :** प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित वेबसाइटों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे :-

www.sainikschooladmission.in Or www.sainikschoolrewa.ac.in

45. ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रवेश वेबसाइट www.sainikschooladmission.in पर उपलब्ध है। छात्र सभी दिशा निर्देशों को आवश्यक रूप से पढ़ना सुनिश्चित करें एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण सावधानी के साथ भरें। बाद में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

46. **सीटों का आरक्षण :** विद्यालय में सीटों का आरक्षण निम्नानुसार है -



(अ) कुल रिक्तियों में से 15% सीटें अनुसूचित जाति वर्ग एवं 7½% सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं।

(ब) शेष रिक्तियों में से, 67% सीटें म.प्र. के निवासी छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। शेष 33% सीटें अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश के छात्रों द्वारा सीधे तौर पर संबंधित राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की पुरुष जनसंख्या के आधार पर भरी जाएगी। तत्पश्चात शेष रिक्तियाँ म.प्र. राज्य के छात्रों द्वारा भरी जाएगी।

(स) 25% सीटें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के पाल्यों के लिए आरक्षित हैं।

नोट – सभी अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा जारी स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

47. अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजाति के छात्रों के आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।

48. **उत्तीर्ण होने के मापदण्ड:** प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मापदण्ड निम्नानुसार है :-

(अ) सामान्य वर्ग तथा रक्षा वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रत्येक विषय में 25% तथा सम्पूर्ण योग में 40% निर्धारित है, यह मापदण्ड मानद सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

(ब) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के प्रकरण में कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है किन्तु उनका चयन उनके ही वर्ग में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के अनुसार आरक्षित सीटों पर ही किया जाएगा। यदि कोई छात्र प्राप्तांकों के आधार पर सामान्य मेरिट में आता है तो वह सामान्य सीटों के विरुद्ध प्रवेशित किया जाएगा, और उसकी गणना अजा/अजजा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के विरुद्ध नहीं होगी।

(स) स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य छात्रों को मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

49. **प्रवेश एवं पात्रता :** प्रवेश वर्ष में 31 मार्च को आयु 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के बीच होने पर कक्षा 6 वीं तथा 13 वर्ष और 15 वर्ष के बीच होने पर कक्षा 9 वीं में प्रवेश का अवसर छात्रों को प्राप्त है। निर्धारित आयु में कोई छूट नहीं है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6वीं तथा 9वीं के लिए अलग-अलग विषयों तथा प्रश्न-पत्रों के लिए सम्पन्न होती है, के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 6वीं का प्रश्नपत्र कुल 300 अंकों तथा कक्षा 9वीं का प्रश्नपत्र कुल 400 अंकों रहेगा।

50. **प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम :** अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम स्तर 6 वीं कक्षा के लिए 5 वीं तथा 9 वीं कक्षा के लिए 8 वीं कक्षा के सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा तथा कुछ प्रश्न इसके उच्च स्तर के भी हो सकते हैं।

51. दोनों कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। कक्षा 6 के प्रश्नपत्र अंग्रेजी, हिन्दी या स्थानीय भाषा में होते हैं। किन्तु 9 वीं का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी माध्यम में होता है।

52. सैनिक स्कूल सोसायटी को परीक्षा के स्वरूप तथा प्रवेश के आधार में परिवर्तन का अधिकार है।

53. छात्र जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हैं तथा प्राविण्य सूची में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य जांच के लिए उपलब्ध रिक्तियों से लगभग तीन गुना संख्या में श्रेणीवार बुलाया जाएगा, जिसमें में केवल स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य पाए गए छात्रों की बनने वाली प्राविण्य सूची के अनुसार प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

54. छात्र के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा विद्यालय प्राविण्य सूची में निम्न स्थान पर होने की स्थिति में यदि उनके अभिभावक अपने पाल्य को अन्य सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने के इच्छुक हैं तो उन्हें यह वचन पत्र देना



होगा कि "वे अपने पुत्र/पाल्य को पूरी शुल्क देने वाले कैंडेट के रूप में अपनी पसंद की अन्य सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए सहमत हैं और किसी भी स्थिति में वह अंतर-सैनिक स्कूल स्थानान्तरण की मांग नहीं करेंगे और अपने पाल्य की पढाई वहीं पूर्ण कराएंगे जहाँ के लिए वह चयनित/प्रवेशित हुआ है।" अभिभावक अपनी इच्छा से अन्य तीन सैनिक स्कूलों का चयन कर प्रवेश फार्म में अपनी प्राथमिकता प्रथम, द्वितीय व तृतीय के रूप में दर्ज कर सकते हैं।

55. सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 6 एवं 9 में प्रवेश के लिए छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण मिलिट्री हास्पिटल के माध्यम से होगा।

56. **प्रवेश के लिये निर्देश** : शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं लिखित परीक्षा के अंकों की प्राविण्य सूची की मेरिट के अनुसार उन्हीं छात्रों को प्रवेश के लिये सूचना प्रेषित की जाती है जिनका अन्तिम रूप से प्रवेश हेतु चयन हो गया है। प्रवेश-सूचना के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होते हैं जिन्हें प्रवेश के समय पूर्ण रूप से भरकर विद्यालय में जमा करना होगा –

- (क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
- (ख) आय प्रमाण पत्र
- (ग) आय का हलफनामा
- (घ) निवास का हलफनामा, निवास प्रमाण पत्र के साथ
- (ङ) बंधक पत्र (बॉण्ड फार्म)
- (च) अनुबंध पत्र
- (छ) मेडिकल हिस्ट्री / टीकाकरण प्रमाण-पत्र
- (ज) तहसीलदार या एस.डी.एम. द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा वर्ग हेतु)
- (झ) रिस्क सर्टिफिकेट
- (ञ) पारिवारिक विवरण, परिवार की फोटो सहित
- (ट) शुल्क प्रमाण पत्र
- (ठ) माता-पिता/अभिभावक के पता का प्रोफार्मा
- (ड) विवाहित/अविवाहित प्रमाण पत्र
- (ढ) यात्रा प्रोफार्मा
- (ण) रजिस्ट्रार, जन्म/मृत्यु द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- (त) यूनिट का सेवा प्रमाण पत्र/सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- (थ) डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, त्रैमासिक वेतन विवरण/यूनिट से वेतन प्रमाण पत्र
- (द) समग्र परिवार विवरण, समग्र चाइल्ड आई.डी. सहित

57. **छात्रों का विद्यालय छोड़ना** : सभी छात्रों को प्रवेश इस आधार पर दिया जाता है कि वह कक्षा 12 पूर्ण करने तक विद्यालय में रहेगा। यदि माता-पिता/अभिभावक अपने पुत्र/पालक को फीस में संशोधन या वृद्धि सहित किसी कारणवश विद्यालय से निकालना चाहता है तो इसकी सूचना प्राचार्य को नए सत्रारम्भ के 2 माह पूर्व देनी होगी। ऐसा न करने पर उसकी सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र विद्यालय कोर्स के बीच में तभी छोड़ सकते हैं जब अर्जित छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यालय शासन को वापस करेंगे। यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने पुत्र/पालक को सत्र के मध्य में निकालना चाहता है तो उसे पूरे सत्र का शुल्क जमा करना होगा। एक बार वापस निकालने पर किसी भी शर्त पर पुनः प्रवेश का प्रावधान नहीं है।

58. शुल्क की धनराशि अग्रिम में जमा करना है जो एक वर्ष या सत्रांश के लिए एक मुश्त जमा की जानी है। यदि सत्रारम्भ की 15वीं तारीख तक फीस जमा नहीं किया जाता तो छात्र को घर भेजा जा सकता है।

59. विद्यालय द्वारा छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण उपलब्ध आदेशों के अधीन कराया जाता है ताकि सेवा चयन बोर्ड के शारीरिक परीक्षण में कम से कम छात्र अनफिट हों। विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के बाद भी किसी भी स्तर पर यदि कोई छात्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से अनफिट पाया जाता है या शारीरिक अयोग्यता के कारण रक्षा सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया तो उसकी छात्रवृत्ति पर तत्काल रोक लग दी जायेगी।



60. सामान्य बिन्दु :

- (अ) माता-पिता/अभिभावक पत्र व्यवहार पते में परिवर्तन की सूचना शीघ्रातिशीघ्र दें। अभिभावक अपने दूरभाष एवं ईमेल पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल कार्यालय को देंगे।
- (ब) इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों से आशा की जाती है वे इस विवरण-पत्रिका में लिखित सूचनाओं/नियमों की जानकारी पढ़कर प्राप्त करेंगे।
- (स) विद्यालय-प्रशासन एवं पार्टी (माता-पिता/अभिभावक) के बीच किसी भी प्रकार का विवाद सिविल न्यायालय, रीवा के क्षेत्राधिकार में होगा।
- (द) कैडेटों को विद्यालय में मोबाईल फोन प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अभिभावकों से आग्रह है कि उन्हें मोबाईल फोन न देवे। कैडेट के पास मोबाईल फोन पाया जाना एक जघन्य अपराध है। ऐसी स्थिति में उसे अनुशासनहीनता के अपराध में भारी जुर्माना एवं/अथवा स्कूल से निकाला जा सकता है।
